2026

पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विवरणिका

पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

शोध एवं नवाचार निदेशालय
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय ट्रांसपोर्ट नगर, तीन पानी बाई पास हल्द्वानी, (उत्तराखण्ड) 263139

अभ्यर्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता है।

पीएच.डी. प्रवेश पोर्टल के लिए ऑनलाइन लिंक निम्नानुसार है:

https://entrance.uou.ac.in/

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ

1.1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि आदि जानकारी के लिए https://entrance.uou.ac.in/ को देखें।

2. प्रस्तावना

विश्वविद्यालय की शोध उपाधि कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी के शोधार्थियों को उच्च अनुसंधान की दिशा में देश व राज्य की वर्तमान आवश्यकताओं, नवीनतम पहलुओं और समस्याओं के अनुरूप शोध करने के साथ-साथ शोध प्रविधि का वैज्ञानिक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना है। इस हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 2.5 (XIV), अनुच्छेद 32.2 (क) एवं परिनियम 37(5) के अधीन शोध उपाधि अध्यादेश, 2026 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत शोध उपाधि कार्यक्रम प्रख्यापित किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं ;

i. शिक्षार्थियों में नवीन ज्ञान के सृजन हेतु कौशल को विकसित करना।
ii. शिक्षार्थियों में शिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्श में गुणवत्तापूर्ण कौशल को विकसित करना।
iii. शोध क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए शोध संबंधी प्रश्नों को स्पष्ट तथा विश्लेषण करने में शिक्षार्थियों को सक्षम करना।
iv. शोध क्षेत्र में ज्ञान के सीमाओं को विस्तारित करने में योगदान देने हेतु प्रासंगिक शोध अभिकल्पना और पद्धतियों की अवधारणा तथा कार्यान्वयन के कौशल को विकसित करना।
v. प्रभावी रूप से शोध का प्रसार (मौखिक और लिखित दोनों रूपों में), नीति निर्माताओं, प्रमुख हितधारकों तथा सार्वजनिक रूप से करने के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना ।

3. सामान्य जानकारी

3.1. पीएच.डी.कार्यक्रम **नियमित पद्वति के अन्तर्गत** (पूर्णकालिक व अंशकालिक श्रेणी के अंतर्गत) सत्र 2026 में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

3.2. उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पीएच. डी. कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम. फिल./पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया) विनियम,2022 तथा समय-समय पर होने वाले संशोधनों के साथ प्रारम्भ किया जा रहा है । चयनित शिक्षार्थी उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्यादेश, अधिनियमावली, तथा विनियमों द्वारा निर्देशित होंगे |

3.3. विज्ञान विद्याशाखा के अन्तर्गत भौतिकी विज्ञान , रसायन विज्ञान ,वनस्पति विज्ञान,व जीव विज्ञान विषयों में पीएच. डी. कार्यक्रम का संचालन सम्बन्धित विभाग द्वारा अध्ययन केन्द्रों से प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी सहमति –पत्र उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त ही किया जाएगा।

3.4. आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जायेंगे। डाक से प्रेषित आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए | अभ्यर्थी के आवेदन पत्र को सूक्ष्म परीक्षण प्रवेश के पश्चात् किया जायेगा | यदि इस परीक्षण में प्रमाण पत्रों अथवा किसी अन्य कारणों से अभ्यर्थी की पात्रता संदिग्ध पाई जाती है तो अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा|

3.5. पीएच.डी. कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से पाठ्य कार्य करना होगा | पाठ्य कार्य की अवधि (6 माह एक सेमेस्टर) की होगी |

3.6. पाठ्य-कार्य (Course Work) विश्वविद्यालय मुख्यालय हल्द्वानी में ही होगा। वर्तमान में विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। छात्रों को रहने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी होगी।

3.7. शोधार्थी को अपने कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा भविष्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में प्रस्तुति देनी होगी।

3.8. यदि पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु साक्षात्कार के उपरान्त कोई अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया जाता है तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय का यह अधिकार होगा कि वह पीएच.डी. कार्यक्रम के कुछ या सभी सीटों को रिक्त रखे।

3.9. इस पीएच.डी. प्रक्रिया से संबंधित सभी कानूनी/ वैधानिक विवाद माननीय उच्च न्यायालय,नैनीताल उत्तराखण्ड के अधिकार क्षेत्र में मान्य होंगे।

4. विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी

मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के व्यापक दर्शन की पृष्ठभूमि पर उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड शासन के अधिनियम संख्या 23 द्वारा इस उद्देश्य से की गई है कि समग्र ज्ञान और कला-कौशल की स्वयं सीख पाने की विविध विधाओं द्वारा सक्षमता लोगों तक पहुँचायी जा सके। उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

अपने अनेक नूतन, समसामयिक एवं उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रमों को सम्प्रेषण के नवीनतम प्रयोगों तथा सम्पर्क-सत्रों द्वारा अधिक सुदृढ़ बनाता रहा है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य इस राज्य के त्वरित विकास एवं उन्नयन हेतु प्रशिक्षित एवं विभिन्न कौशलों में दक्ष उपयोगी मानव संसाधनों का विकास करना है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कभी किसी भी स्तर पर कोई समझौता न किया जाए। व्यावसायिक शिक्षा में तीव्रता से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रमों को इस प्रकार पुनर्गठित किया है कि रोजगार एवं स्व-रोजगार के नित नए द्वार खुल सकें। विश्वविद्यालय मुख्य रूप से महिलाओं, जनजातियों तथा मुख्य धारा से अलग वर्गों के शैक्षिक उन्नयन हेतु कटिबद्ध है। विश्वविद्यालय के निरन्तर होते विस्तार से इसकी पहुँच आज इस राज्य के सुदूरवर्ती एवं दुर्गम क्षेत्रों तक हो गई है। विश्वविद्यालय राज्य के विकास में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए, जो राज्य की समृद्ध परम्पराओं पर आधारित हो, राज्य की जनता की संस्कृति और उसके मानवीय संसाधनों की उन्नति और अभिवृद्धि के लिए शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और विस्तारण के माध्यम से प्रयास कर रहा है।

वर्तमान में, विश्वविद्यालय 14 विद्याशाखाओं एवं 47 विभागों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। विद्याशाखाएं निम्नलिखित हैं:

- i) कृषि एवं विकास अध्ययन
- ii) कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी
- iii) स्वास्थ्य विज्ञान
- iv) विज्ञान
- v) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान
- vi) प्रबंध अध्ययन एवं वाणिज्य
- vii) शिक्षाशास्त्र
- viii) मानविकी
- ix) समाज विज्ञान
- x) विधि
- xi) पत्रकारिता एवं मीडिया अध्ययन
- xii) पर्यटन, आतिथ्य एवं होटल प्रबंधन
- xiii) व्यावसायिक अध्ययन
- xiv) भौमिकी एवं पर्यावरण अध्ययन

5. पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता

5.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पीएच.डी. प्रवेश संबंधी विनियमों के आधार पर, विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा UGC-NET/CSIR-NET/GATE/ICAR-NET/ICMR-NET अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त स्कोर को प्रवेश का आधार बनाया जायेगा। यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) के 27 मार्च 2024 के पत्र (No.4-1(UGC-NET Review Committee)/2024 (NET)/140648) की तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार-

श्रेणी	**अर्ह**
Qualified for निम्नलिखित हेतु योग्य	Ph.D. Admission पीएच.डी. में प्रवेश हेतु योग्य
Category 1- Award of JRF and appointment as Assistant Professor श्रेणी–1 : जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) एवं सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति, पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 2- Appointment as Assistant Professor and admission to Ph.D. श्रेणी–2 : सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति एवं पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश	YES हाँ /अर्ह
Category 3 – Admission to Ph.D श्रेणी–3 पीएच.डी. में नामांकन	YES हाँ /अर्ह

5.2 राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (National Eligibility Test) का परिणाम जो कि प्रतिशतांक (Percentile) के रूप में घोषित होता है को पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश हेतु मानदंड के रूप में लिया जाएगा। श्रेणी 1 अर्थात् जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा | साक्षात्कार कुल 30 अंकों का होगा | अतः जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में 100 प्रतिशत भारांक प्रदान किया जायेगा | तीनों श्रेणी में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की परीक्षा नीति के अनुरूप साक्षात्कार में न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्थात् न्यूनतम 11 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा | जे० आर० एफ अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी |

श्रेणी 02 और 03 में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंतिम श्रेष्ठता सूची (मेरिट लिस्ट) तैयार करने हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों के राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्रतिशतांक को 70% का भारांक प्रदान किया जाएगा तथा साक्षात्कार को 30% का भारांक/महत्त्व प्रदान किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 70% भारांक और साक्षात्कार के 30% भारांक को सम्मिलित कर तैयार की जाएगी, तथा अंकों को दो दशमलव स्थान तक लिया जाएगा। पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको के समतुल्य पैमाने से अर्जित अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार की गई अंतिम श्रेष्ठता सूची के माध्यम से किया जाएगा।

श्रेणी 2 और 3 के उम्मीदवारों द्वारा NET में प्राप्त अंक पीएच.डी. प्रवेश के लिए एक वर्ष की अवधि तक मान्य होंगे। पीएच.डी. हेतु उपलब्ध सीटों का आवंटन मेरिट सूची के आधार पर किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार प्रवेश नहीं लेता है, तो श्रेष्ठता (मेरिट) सूची में क्रमानुसार अगले योग्य उम्मीदवार को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा। यदि कोई चयनित आवेदक निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है, तो श्रेष्ठता (मेरिट) सूची में अगले योग्य आवेदक को प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा।

यदि किसी आरक्षित सीट के लिए कोई उम्मीदवार आवेदन नहीं करता है, तो वह सीट प्रवेश के लिए निर्धारित नीति के अनुसार अन्य श्रेणियों को आबंटित की जाएगी और प्रवेश निर्धारित श्रेष्ठता (मेरिट) सूची के आधार पर दिया जाएगा।

श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार करने के लिए औसत अंकों को दशमलव के दो (02) स्थानों तक प्रदर्शित किया जाएगा।

श्रेणी 2 एवं 3 हेतु श्रेष्ठता (मेरिट) सूची तैयार करने हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं साक्षात्कार—दोनों के अंकों को सम्मिलित किया जाएगा।

5.3 विश्वविद्यालय उपलब्ध पीएच.डी. सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की संख्या तय कर सकता है।

5.4 पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक / नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र / राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण नीति का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित मानदंडों पर आधारित होगा ।

5.5 अभ्यर्थियों की शोध अभिरुचि / क्षेत्र पर चर्चा के लिये एक विधिवत् साक्षात्कार समिति गठित की जाएगी। यह समिति अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुतीकरण एवं साक्षात्कार का मूल्यांकन करेगी।

साक्षात्कार हेतु निर्धारित प्रक्रिया निम्न तीन बिन्दुओं पर आधारित होगी

1. अवधारणा-पत्र लेखन,

2. शोध अभिरूचि संबंधी प्रस्तुतीकरण, एवं

3 मौखिक साक्षात्कार,

साक्षात्कार कुल 30 अंक पर आधारित होगा ।

अवधारणा पत्र (Concept Note) का मूल्यांकन: अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा पत्र का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

- विषय-वस्तु (Content): विषय की प्रासंगिकता, शोध विचार की स्पष्टता और प्रस्तुत जानकारी की गुणवत्ता।
- संरचना / तर्क का विकास (Structure/Development of Argument): तथ्यों की तार्किक प्रस्तुति, क्रमबद्धता और विचारों का व्यवस्थित विकास।
- भाषा (Language): शैक्षणिक भाषा की स्पष्टता, सटीकता और व्याकरणिक शुद्धता।
- सुसंगतता (Coherence): विचारों की आपसी संगति और प्रस्तुति में निरंतरता।

- मौलिक विचार और विचारों का समर्थन / विश्लेषण (Original thought and Support of Ideas / Analysis): नवीनता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, विचारों का समर्थन और विश्लेषणात्मक क्षमता।

शोध प्रस्ताव पर प्रस्तुति (Research Proposal Presentation): अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रस्तावित शोध विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन (PPT) द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी, जिसका मूल्यांकन निम्न आधारों पर किया जाएगा:

- संप्रेषण कौशल (Communication Skills): विचारों और तर्कों को स्पष्ट, प्रभावी और आत्मविश्वासपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता ।
- विषय-वस्तु (Content): प्रस्तुति में निहित विषय की प्रासंगिकता और शोध संबंधी जानकारी की गुणवत्ता।
- विचारों की स्पष्टता (Clarity of Thoughts): शोध विषय और उद्देश्यों की स्पष्ट समझ और तार्किक व्याख्या।
- समस्या का सूत्रीकरण (Formulation of Problem): शोध समस्या की पहचान, परिभाषा और औचित्य।
- प्रस्तुति संरचना (Structure of PPT): स्लाइड प्रस्तुति की क्रमबद्धता, दृश्य प्रभाव और तार्किक संगठन।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार (Interview) व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से अभ्यर्थी की समग्र शोध-योग्यता का आकलन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा।
- शोध अभिमुखता (Research Orientation): शोध के प्रति रूचि, दृष्टिकोण और अनुसंधान पद्धति की समझ।
- विषयगत गहराई (Depth of the Subject): शोध विषय की अवधारणाओं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक गहराई की समझ।
- स्व-प्रेरणा / पहल (Self-Motivation/Initiative): कार्य के प्रति सक्रियता, पहल और अनुसंधान में स्वतंत्रता।
- निर्णय क्षमता (Judgment/Decision Making): विश्लेषणात्मक क्षमता और उचित निर्णय लेने की योग्यता।
- संगठन एवं योजना कौशल (Organization/Planning Skills): समय प्रबंधन, कार्य योजना और अनुसंधान के व्यवस्थित आयोजन की क्षमता।

5.6 साक्षात्कार में निम्न पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा।

(i) क्या अभ्यर्थी में प्रस्तावित शोध के लिए क्षमता है।

(ii) क्या प्रस्तावित शोधकार्य सुलभता पूर्वक विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किया जा सकता है।

(iii)) क्या प्रस्तावित शोध के क्षेत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त ज्ञान में योगदान प्राप्त हो सकता है।

5.7 अभ्यर्थियों के शोध रूचि क्षेत्र के परीक्षण एवं साक्षात्कार हेतु विधिवत समिति गठित की जायेगी, जिसका स्वरूप निम्नवत होगा-

(क) संबंधित विद्याशाखा के निदेशक

(ख) संबंधित विषय की शोध उपाधि समिति (आरडीसी) का संयोजक उक्त समिति का संयोजक होगा।

(ग) शोध पर्यवेक्षण / निर्देशन हेतु सम्बन्धित विषय के अर्ह प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक समिति के सदस्य होंगे।

(घ) संबंधित विषय हेतु कुलपति द्वारा नामित एक बाह्य विशेषज्ञ

उक्त समिति विद्याशाखा के निदेशक के निर्देशन में प्रस्तुतीकरण तथा साक्षात्कार का संचालन करेगी। संयोजक विद्याशाखा के निदेशक के माध्यम से साक्षात्कार समिति के विधिवत गठन हेतु माननीय कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त साक्षात्कार का आयोजन करेंगे।

5.8 संबंधित विभाग के लिए गठित समिति द्वारा प्रदान किए गए साक्षात्कार अंकों और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंको का योग अंतिम संयुक्त श्रेष्ठता सूची तैयार करने हेतु किया जाएगा।

6. विभिन्न विषयों से सम्बन्धित पीएच.डी. कार्यक्रम के नाम,कार्यक्रम कोड, विषयवार रिक्त सीटें

विषयों तथा विषय-वार उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नवत है;

क्रम संख्या **S. No**	**कार्यक्रम का नाम**	**कार्यक्रम कोड**	कुल रिक्ति **Total Posts**	सामान्य श्रेणी **General**	अनुसूचित जाति **SC**	अनुसूचित जनजाति **ST**	अन्य पिछड़ा वर्ग **OBC**	आर्थिक रूप से कमजोर **(EWS)**	टिप्पणी **Remarks**
1	**2**		**3**	**4**	**5**	**6**	**7**		
1	पीएच.डी.(पर्यटन) Ph.D. (Tourism)	Ph.D. (TOU)-22	01	01					
2	पीएच.डी. (समाज कार्य) Ph.D. (Social Work)	Ph.D. (SOW)-22	01	01					
3	पीएच.डी. (रसायन विज्ञान) Ph.D. (Chemistry)	Ph.D. (CHE)-22	02	1				1(UW)	
4	पीएच.डी. (विकास अध्ययन) Ph.D.(Development studies)	Ph.D. (DES)-23	02		1			1(UW)	
5	पीएच.डी. (प्रबन्ध अध्ययन) Ph.D. (Management Studies)	Ph.D. (MAN)-22	01				1(UW)		

6	पीएच.डी. (वाणिज्य) Ph.D. (Commerce)	Ph.D. (COM)-22	02	01	01				
7	पीएच.डी. (शिक्षाशास्त्र) Ph.D. (Education)	Ph.D. (EDU)-22	03	2			1(UW)		
8	पीएच.डी. (हिन्दी) Ph.D. (Hindi)	Ph.D. (HIN)-22	2	1 (Ex-Army)				01(UW)	
9	पीएच.डी. (कम्प्यूटर साइंस एंड एप्लिकेशन) Ph.D. (Computer Science and Applications)	Ph.D. (CSA)-22	7	4+1(UW)	1		1(UW)		
10	पीएचडी (ज्योतिष) Ph.D (Jyotish)	Ph.D(JYO-22)	1		01(Orphan Child)				
11	पीएचडी (पत्रकारिता) Ph.D (Journalism)	Ph.D (JOU)-22	4	1+1(UW)	1		1		
12	पीएचडी (अर्थशास्त्र) Ph.D(Economics)	Ph.D(ECO)-22	1	1					
13	पीएचडी (वनस्पति विज्ञान) Ph.D (Botany)	Ph.D(BOT)-22	02	1 (UW)+1					
14	पीएचडी (गणित) Ph.D(Mathematics)	Ph.D(Mat)-22	03	1	1		1		
15	पीएचडी	Ph.D(PHY)-22	08	2(UW)+1(Or	1	1(DFF)	1(PH)	1(UW)	

	(भौतिक विज्ञान) Ph.D(Physics)			phan Child)+1(Ex-Army)					
16	पीएचडी (गृहविज्ञान) Ph.D (Home Science)	Ph.D(HOM)-22	1	1					
TOTAL			41	23	07	01	06	04	

- **नोट:** यद्यपि उपरोक्त तालिका में आरक्षण राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के नियमों के आधार पर पूर्ण सावधानी का पालन करते हुए लगाया गया है, फिर भी यदि इस सम्बन्ध में कोई त्रुटि अथवा विसंगति पाई जाती है तो विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत नीति ही मान्य एवं प्रभावी होगी | उपरोक्त तालिका में वर्णित 41 रिक्त सीटों की संख्या अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया के दौरान इसमें वृद्धि या कमी की जा सकती है। अभ्यर्थियों को प्रवेश से संबंधित नवीनतम सूचना, विस्तृत दिशानिर्देश, समय-सारणी तथा अन्य निर्देशों के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है। किसी भी परिवर्तन, संशोधन अथवा अद्यतन सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट व अधिसूचना के माध्यम से ही मान्य होगी।

7. शुल्क का विवरण

7.1 विश्वविद्यालय नियमानुसार

7.2 काउंसलिंग शुल्क 1000/- रूपये

8. पंजीकरण प्रक्रिया

8.1 प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा काउंसलिंग के उपरान्त प्री-पीएच.डी. पाठ्यकार्य के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम प्रवेश फार्म तथा प्री-पीएच.डी. कोर्स वर्क शुल्क जमा किया जाएगा। इस तिथि को पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए पंजीकरण तिथि माना जायेगा।

8.2 पाठ्यकार्य (कोर्स वर्क) की अवधि शोध कार्य की अवधि के साथ जोड़कर कुल अवधि की गणना की जायेगी।

8.3 शोध उपाधि समिति उन छात्रों के पुनर्पंजीकरण अनुरोध पर विचार कर सकती है जिनकी पंजीकरण अवधि समाप्त हो चुकी है अथवा किसी कारण से पंजीकरण निरस्त किया गया है। पुनर्पंजीकरण के लिए आवेदन यदि शोधार्थी के पंजीकरण निरस्त होने से एक वर्ष से कम अवधि के भीतर किया गया हो तो सम्बन्धित विषय के संयोजक और निदेशक की संस्तुति पर कुलपति द्वारा विचार किया जा सकता है।

8.4 उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कारणों से भी शोधार्थी का पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है;

(i) शुल्क का भुगतान न करने पर।

(ii) असंतोषजनक प्रगति।

(iii) अध्यादेशों के उपबन्धों का अनुपालन न करने पर।

(iv) विहित समय सीमा के भीतर डिजर्टेशन / थीसिस प्रस्तुत न करने पर।

(v) शोधार्थी द्वारा अनुशासनहीनता करने पर। प्रकरण अनुशासन समिति को संदर्भित किया जायेगा और समिति की अनुशंसा पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8.5 कार्यक्रम शुल्क में पंजीकरण शुल्क, पाठ्यकार्य शुल्क, मूल्यांकन शुल्क तथा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर विहित किए जाने वाले अन्य शुल्क सम्मिलित होंगे, वार्षिक शुल्क सदैव वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा। अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम/ विदेशी शोधार्थियों के लिए पीएच.डी. कार्यक्रम की शुल्क दरें अलग होंगी जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जायेंगी|

9. पीएचडी कार्यक्रम की अवधि

9.1 पीएच.डी. पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम तीन (3) वर्ष की होगी और अंशकालिक पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए यह अवधि कम से कम चार (4) वर्ष होगी जिसमें पाठ्यकार्य (कोर्सवर्क) भी शामिल होगा तथा पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से अधिकतम अवधि छह (6) वर्ष होगी।

9.2 शोध अध्यादेश- 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत कुलपति द्वारा पंजीकरण की अवधि के विस्तार की अनुमति प्रदान किए जाने के उपरांत, यदि एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि में भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है, तो पुनः एक और वर्ष का विस्तार प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार अधिकतम दो (02) वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा।। बशर्ते कि पीएच.डी कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि पीएच.डी कार्यक्रम में प्रवेश की तिथि से आठ (8) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

बशर्ते कि, महिला पीएच.डी शोधार्थियों एवं दिव्यांग व्यक्तियों (40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले) को दो वर्षों की अतिरिक्त छूट की अनुमति दी जा सकती है, हालाँकि, पीएच.डी. कार्यक्रम पूरा करने की कुल अवधि ऐसे मामलों में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश की तारीख से दस (10) वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.3 महिला पीएच.डी. शोधार्थियों को पीएच0डी0 कार्यक्रम की पूरी अवधि में 240 दिनों तक के लिए मातृत्व अवकाश/शिशु देखभाल अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

10. पाठ्य-कार्य (Course Work)

10.1 पीएचडी कोर्स वर्क के लिए कम से कम 12 क्रेडिट की आवश्यकता होगी जिसमें ‘‘शोध और प्रकाशन नैतिकता’’ कोर्स जैसा कि यूजीसी द्वारा डी0ओ0 मि0 संख्या 1-1/ 2018 (जर्नल/केयर) 2019 में अधिसूचित है और जिसमें एक शोध पद्धति पाठ्यक्रम शामिल है। शोध सलाहकार समिति पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए क्रेडिट आवश्यकताओं के हिस्से के रूप में यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सिफारिश भी कर सकती है।

10.2 सभी पीएच.डी. शोधार्थियों को अपनी शोधकार्य अवधि के दौरान समग्र अध्ययन विषय के स्थान पर अपने चुने हुए पीएचडी विषय से संबंधित शिक्षण/ शिक्षा/शिक्षा शास्त्र/ लेखन में प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे। पीएच.डी

शोधार्थियों को ट्यूटोरियल या प्रयोगशाला कार्य और मूल्यांकन के संचालन के लिए प्रति सप्ताह 4-6 घंटे शिक्षण/ शोध सहायक के कार्य भी सौंपे जा सकते हैं।

10.3 एक पीएच.डी. शोधार्थी को पीएच.डी. कार्यक्रम को जारी रखने और अपनी शोध प्रबंध (थीसिस) जमा करने हेतु पात्र होने के लिए प्री-पीएच0डी कोर्स वर्क में न्यूनतम 55% अंक या यूजीसी 10-प्वाइंट स्केल में इसके समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा।

10. 4 पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को 6 माह का (एक सेमेस्टर में) पाठ्य कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा | यदि शोधार्थी किन्हीं कारणों से प्रथम सेमेस्टर में पाठ्य कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसे एक और छमाही (सेमेस्टर) में पाठ्य कार्य पूर्ण करने का मौका दिया जा सकता है | यह पाठ्य कार्य अगले प्रवेश सत्र में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाले पाठ्य कार्य के साथ किया जाना अनिवार्य होगा | यदि शोधार्थी अगले सत्र के पीएच.डी. कार्यक्रम के पाठ्यकार्य में भी पाठ्यकार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, तो उसका प्रवेश विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा।

10.5 प्रत्येक शोधार्थी के लिए कोर्सवर्क में कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी।

केवल उन विशेष परिस्थितियों में, जो वास्तविक और प्रमाणित प्रतीत हों, एवं शोध निदेशक की अनुशंसा पर माननीय कुलपति द्वारा 5% की छूट उपस्थिति मानदंड में प्रदान की जा सकती है | बशर्ते सम्बन्धित शोधार्थी को उतने दिनों की कक्षाओं का "अतिरिक्त कक्षाओं" द्वारा पाठ्यकार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा |

10.6 शोधार्थी अपने पर्यवेक्षक तथा संबंधित विद्याशाखा के निदेशक से परामर्श के उपरांत शोध पद्धति से संबन्धित प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रम से भी ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं | किन्तु ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम की न्यूनतम अवधि (01) माह की होगी | यदि एक (01) माह की अवधि का कोई ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है, तो एक माह की अवधि के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के संयोजन को स्वीकार किया जा सकता है| (ऑनलाइन पाठ्यकर्मो के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश लागू होंगे) परन्तु ऐसे सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रम पीएच.डी. शोध कार्य से सम्बन्धित होने चाहिए तथा प्रतिष्टित एवं मान्यता प्राप्त संस्थानों से किये गये होने चाहिए, जैसे- SWAYAM, www.edx.org, www.nptel.ac.in, www.aima.in, www.britishcatalog.org, MIT Open courseware, www.khanacademy.org आदि। उक्त प्रावधान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ऑनलाइन पाठ्यक्रम अथवा कार्यक्रम विनियम), 2022 के अंतर्गत तथा उसके अनुरूप होंगे|

ऑनलाइन पाठ्यकर्मो के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये दिशा निर्देश लागू किये जायेंगे |

10.7 पाठ्य-कार्य (Course Work) केवल विश्वविद्यालय के मुख्यालय में ही संचालित किया जाएगा।

10.8 यदि किसी अभ्यर्थी ने पीएच.डी. पाठ्यक्रम का पाठ्य-कार्य (Course Work) किसी अन्य विश्वविद्यालय/संस्थान से पूर्ण किया है, तो उसे संबंधित विश्वविद्यालय से उक्त पाठ्य-कार्य का प्रमाण प्रस्तुत करना

होगा। तथापि, ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए CW-05 (Research and Publication Ethics) मॉड्यूल को इस विश्वविद्यालय से सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

11. प्रगति प्रतिवेदन

a. शोधार्थी छह माह में एक बार शोध सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित होकर मूल्यांकन तथा भविष्य में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने कार्य की प्रगति के संबंध में एक प्रस्तुति देगा।

b. शोध सलाहकार समिति द्वारा छःमासिक प्रगति रिपोर्ट शोध उपाधि समिति को तथा इसकी एक प्रति शोधार्थी को भेजी जाएगी। यदि शोधार्थी की प्रगति असंतोषजनक हो तो, समिति इसके कारण दर्ज करेगी तथा उपचारात्मक उपाय सुझाएगी। यदि शोधार्थी इन उपचारात्मक उपायों को क्रियान्वित करने में असफल बना रहता है तो शोध सलाहकार समिति विशिष्ट कारणों के आधार पर शोधार्थी के पंजीकरण को अमान्य करने के लिए शोध उपाधि समिति को संस्तुत कर सकती है।

12. शोध निर्देशक का चयन

शोध पर्यवेक्षकों/निर्देशकों का आवंटन निदेशालय द्वारा सम्बन्धित विभाग के परामर्श से किया जाएगा जो शिक्षार्थियों के लिए मान्य होगा।

13. शोध ग्रन्थ जमा तथा प्रस्तुत करने हेतु निर्देश

शोध ग्रन्थ जमा तथा प्रस्तुत करने हेतु सामान्य निर्देश शोध- ग्रन्थविवरण पुस्तिका(Handbook) में दिए जायेगें।

14. अंशकालिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएच0डी0 उपाधि का संचालन

14.1 अंशकालिक आधार पर पीएच.डी. पाठ्यक्रम केवल उच्च शिक्षण संस्थान में कार्यरत शिक्षकों / केन्द्रीय या राज्य सरकार के शोध संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों के लिए ही उपलब्ध होंगे, बशर्तें ऐसे आवेदक द्वारा मौजूदा पीएच.डी. विनियमों में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ण की जाएं।

14.2 विश्वविद्यालय को अंशकालिक पीएच.डी. के लिए अभ्यर्थी के माध्यम से उस संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, जहाँ अभ्यर्थी कार्यरत है और जिसमें यह स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया हो किः

(i) उम्मीदवार को अंशकालिक आधार पर अध्ययन करने की अनुमति है।

(ii) उसके आधिकारिक कर्तव्य उन्हें शोध के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

(iii) यदि आवश्यक हुआ, तो उम्मीदवार को कोर्सवर्क पूरा करने के लिए कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है।

14.3 अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम से तात्पर्य है ऐसा पीएच.डी. पंजीकरण, जिसमें अभ्यर्थी अपनी सेवाएं जारी रखते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम सम्पर्क घंटे, जिसमें अभ्यर्थी पाठ्यकार्य एवं अनुसंधान प्रगति पूर्ण

करता है। अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि 4 वर्ष होगी|

14.4 ऐसे शोधार्थियों को प्रवेश से पूर्व अपने संस्थान से NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तभी उन्हे प्रवेश दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान उम्मीदवार को शोध कार्य के लिए समय देने के लिए सहमत है।

14.5 अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश, पाठ्यक्रम कार्य (Coursework), संक्षिप्त शोध प्रस्ताव (Synopsis), शोध कार्य (Research), प्रकाशन (Publications) और मौखिक परीक्षा (Viva-Voce) जैसी सभी प्रक्रियाएं पूर्णकालिक पीएच.डी. नियमों के अनुरूप ही होंगी। अंशकालिक कार्यक्रम में केवल समय-सारणी (Time-frame) और उपस्थिति (Attendance) में लचीलापन प्रदान किया जाएगा।

14.6 अंशकालिक पीएच.डी. के लिए आवेदनकर्ता को निम्नलिखित सुनिश्चित करना होगा:

i. अपने आधिकारिक कर्तव्यों के संबंध में आर डी सी (RDC) को संतुष्ट करना कि उसके कर्तव्य उसे शोध कार्य के लिए पर्याप्त समय देने की अनुमति देते हैं।

ii. यह सुनिश्चित करना कि चयनित शोध क्षेत्र में अपने कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार शोध करने की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हों।

14.7 पीएच.डी.कोर्स वर्क हेतु ऑन-कैम्पस, साप्ताहिक/वीकेंड बैच, ऑन-लाईन टीचिंग अथवा मिश्रित प्रारूप अपनाया जा सकता है।

14.8 पार्ट-टाईम (अंशकालिक) पीएच.डी. पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की प्रवेश अधिसूचना में "पार्ट टाईम / कार्यरत शोधार्थी श्रेणी" का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

चयनित अंशकालिक पीएच.डी. उम्मीदवार किसी भी अन्य केंद्रीय/ राज्य सरकार या विश्वविद्यालय की योजना से पीएच.डी. फेलोशिप/छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाभ नहीं ले सकते।

इसके अतिरिक्त, अंशकालिक पीएच.डी. कार्यक्रम में अन्य सभी नियम और प्रक्रियाएँ पूर्णकालिक पीएच.डी. नियमों के समान ही लागू होंगी।

14.9 पीएच.डी. (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए कक्षाओं का आयोजन आवश्यकता अनुसार मिश्रित मोड में भी किया जा सकता है।

14.10 वर्तमान में लागू इन विनियमों अथवा किसी अन्य कानून में अंतर्विष्टि किसी भी बात के बावजूद विश्वविद्यालय दूरस्थ और मुक्त शिक्षण प्रणाली या ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से पीएच.डी. पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेगा।

14.11 पीएच.डी. (अंशकालिक) कार्यक्रम के लिए पाठ्यकार्य (कोर्स वर्क) हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा |

15. अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों का पीएच0डी0 कार्यक्रमों में प्रवेश-

15.1 प्रत्येक पर्यवेक्षक पीएच.डी. शोधार्थी हेतु अनुमान्य संख्या से अतिरिक्त दो अंतराष्ट्रीय शोघार्थियों को एक अतिरिक्त आधार पर मार्गदर्शन कर सकता है |

15.2 विश्वविद्यालय संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिला किया जा सकता हैं।

15.3 विश्वविद्यालय, संबंधित सांविधिक/नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं मानदंडों का पालन करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का पीएच.डी. में दाखिला प्रत्येक मामले के आधार पर (case-to-case basis) तय करेगा। इसके साथ ही, इस प्रक्रिया और चयन की विधिवत सूचना उचित माध्यम से राज्य सरकार को दी जाएगी।

15.4 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पीएच.डी. प्रवेश की पात्रता भारत के अन्य आवेदकों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम अंकों और अन्य मानदंडों के समान होगी, जब तक कि संबंधित संस्थान/विश्वविद्यालय द्वारा विशेष दिशा-निर्देश या मानदंड जारी न किए जाएँ। प्रक्रिया में साक्षात्कार (Interview), पूर्व शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध प्रस्ताव (Research Proposal) और आवश्यकता अनुसार अन्य दस्तावेज शामिल होंगे।

15.5 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विशेष शुल्क संरचना लागू होगी, जो विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी। विश्वविद्यालय की शेष सामान्य नीतियों इन छात्रों पर भी लागू होंगी।

<u>आवश्यक सूचना</u>

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के पीएच.डी. कार्यक्रम 2026 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरने से पहले, कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

(i) पीएच.डी. कार्यक्रम 2026 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सभी पात्रता शर्तो को पूर्ण करते हैं। अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत, विश्वविद्यालय पात्रता शर्तों का सत्यापन मूल प्रमाण पत्रों के आधार पर करेगा।

(ii) विश्वविद्यालय बिना कारण बताए साक्षात्कार तिथि को परिवर्तित कर सकता है परन्तु यथा समय ऐसे परिवर्तन की जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी जाएगी ।

(iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र अधिसूचना के अनुसार सभी तरह से पूर्ण होना चाहिए। अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

(iv) अंतिम तिथि के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन, पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त घोषणाओं तथा सूचनाओं हेतु आवेदकों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.uou.ac.in** को नियमित रूप से देखें। व्यक्तिगत स्तर पर या समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की जानकारी का प्रसार करना संभव नहीं होगा।

(v) विश्वविद्यालय का निर्णय सभी मामलों/विषयों में अंतिम होगा।

(vi) विशेष परिस्थितियों/ मामलों में जो दिशानिर्देशों में सम्मिलित नहीं हैं, ऐसे प्रकरणों पर निदेशालय द्वारा व्यक्तिगत आधार पर विचार किया जाएगा तथा उन्हें माननीय कुलपति के समक्ष रखा जाएगा। कुलपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(vii) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने मोबाइल नंबर तथा ई मेल की सही व स्पष्ट जानकारी दें । जिससे, विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित किए जाने वाले दिशानिर्देश तथा सूचनाएं उन्हें यथासमय मिल सकें।

अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए महत्व पूर्ण सम्पर्क एवं ई-मेल

अभ्यर्थी अपने आवेदन के सम्बन्ध में किसी मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण के लिए विश्वविद्यालय के निम्नलिखित नम्बरों में किसी भी कार्य दिवस पर में 10:00 बजे से 5 बजे के मध्य सम्पर्क कर सकते हैं।

Directorate of Research and Innovation - 05946-286047

Toll Free 18001804025 Extension Number-150

Email Id- research@uou.ac.in